न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :—श्रीराजेन्द्र कुमार RAS

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट.

अनुवान कविता आदि **बनाम** नथूराम आदि

वादपत्र संख्या 185 वर्ष 2023

निर्णय **दिनांकः—** 27/8/25

1. कविता पुत्री नथूराम जाति जाट निवासी झौथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. सोनू पुत्र नथूराम जाति जाट निवासी झौथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. नथूराम पुत्र श्योजी राम उर्फ श्योराम जाति जाट निवासी झौथड़ा तारानगर जिला चूरू
2. चुनी पुत्री श्योजी राम उर्फ श्योराम जाति जाट निवासी झौथड़ा तारानगर जिला चूरू
3. बालू पुत्र श्योजी राम उर्फ श्योराम जाति जाट निवासी झौथड़ा तारानगर जिला चूरू
4. सुमन पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी घासला अगुणा तहसील तारानगर जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू
6. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बांय तहसील तारानगर चूरू
7. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बांय तहसील तारानगर चूरू

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती
हस्ब दफा 88 आर.टी. एक्ट सपठित
धारा 5 राज. उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थिति :—

1. **श्री प्रभुदयाल सहारण एडवोकेट वास्ते वादीगण**
2. **श्री देवकरण प्रजापत अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 02, 03**
3. **श्री विकास सिहाग अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 4**

अधिकारी तारानगर (चूरू)

—::**निर्णय**::—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा झौथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित ख. नं. 261 तादादी 4.4510 हैक्ट., ख.नं. 388 तादादी 6.1708 हैक्ट., ख. नं. 538/17 तादादी 6.3984 हैक्ट. कुल तादादी 17.0202 हैक्ट. भूमि स्थित है। जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 की खातेदारी व सहकृषक की कृषिभूमि है। जिसमें अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा में 2/3 हिस्सा के काबिज काश्तकार है उपरोक्त कृषिभूमि ही विवादित है। उक्त कृषिभूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त रूप से दादालाई कृषिभूमि है मगर कर्ता खानदान प्रतिवादी सं. 1 ता 3 होने से उनके नाम उस वक्त उक्त कृषिभूमि खातेदारी में दर्ज करवा दी गई थी मगर उक्त कृषिभूमि

Rajendra उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

संयुक्त कब्जे काश्त की कृषिभूमि है जिस पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का संयुक्त रूप से अपने हिस्सेनुसार कब्जा काश्त चले आ रहे है तथा वादीगण का परिवार हिन्दू विधि की मीताक्षरा पद्धति से शासित होता है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के आदेशात्मक प्रावधानों के अनुसार वादीगण का उक्त कृषिभूमि परिवार की संयुक्त परिवार दादालाई होने से जन्म से उक्त आराजी में बराबर हिस्सा है मगर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा है मगर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा जिसमें प्रत्येक वादीगण 1/3, 1/3 अर्थात 2/3 हिस्सा के काबिज काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 1 का राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज के आधार पर संपूर्ण हिस्से का अपने आपको खातेदार बतलाने लग गया है तथा एलानियां कह रहा है कि उक्त कृषिभूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विकयं कर उसके नाम खातेदारी अंकित करवाकर वादीगण को उनके हिस्से से वंचित कर देगा। इससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर गंभीर कुठाराघात होगा। इसलिए वादीगण कि लिए विवादित कृषिभूमि में प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा में से प्रत्येक वादीगण 1/3, 1/3 हिस्से अर्थात 2/3 हिस्सा की खातेदारी घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकित करवानी आवश्यक हो गई है। इसलिए यह घोषणात्मक वाद वादीगण पेश किया जा रहा है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को कई बार कहा व अन्य लोगों से भी कहलवाया कि वह वादीगण का उक्त कृषिभूमि में हिस्सा होना स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम खातेदारी अंकित करवा देवे तथा वादीगण के हिस्से की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड अंकन करवा देवें तो वे पहले सहमत हो गये लेकिन अब दिनांक 20.08.2023 को बमुकाम झोथड़ा में ऐसा करने से साफ इंकार हो गया इसलिए यही तारीख वाद कारण है तथा वादाधार वादी को विवादित कृषिभूमि संयुक्त परिवार की दादालाई होने से हक व हिस्सा प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 2 ता 6 ने अपने हिस्सा की कृषिभूमि प्रतिवादी सं. 7 के रहन रख रखा है इसलिए उन्हें उक्त वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र में वर्णित कृषिभूमि श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में है।

इस प्रकार वादीगण ने दावा पेश कर निवेदन है किया है कि घोषित किया जावे कि ख.नं. 261 तादादी 4.4510 हैक्ट. ख.नं. 388 तादादी 6.1708 हैक्ट., ख.नं. 388/17 तादादी 6.3984 हैक्ट. कुल तादादी 17.0202 हैक्ट. वाके रोही झौथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू में से वादीगण हकदार व सहखातेदार व सहकृषक है तथा अपने पिता के 1/3 हिस्से में से प्रत्येक वादीगण अपने 1/3, 1/3 हिस्से अर्थात 2/3 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 04 का वकालतनामा श्री विकास सिहाग ने पेश किया। प्रतिवादीगण सं.

Jayendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

1, 5 ,7 लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 05.12.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता श्री प्रभुदयाल सहारण ने वादीगण 1 व 2 की ओर से तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर श्री देवकरण प्रजापत ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादी सं. 2, 3 व 4 ने दिनांक 22.05.2025 को जवाब पेश नही करना जाहिर किया। राजपैरोकार को जबावदावा हेतु बार–बार समय दिया गया। किन्तु उनके द्वारा जवाब दावा पेश नही किया गया। जिसके पश्चात वादीगण के साक्ष्य करवाये गये। वादीगण 1 व 2 तथा ममता पत्नी नथूराम जाति जाट निवासी झौथड़ा व बालूराम उर्फ बालू पुत्र श्योजीराम उर्फ श्योराम की ओर से मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र दिनांक 1.07.2025 को प्रस्तुत किया गया तथा इनके बयान पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 2, पीडब्ल्यू 3, पीडब्ल्यू 4 दिनांक 14.07.2025 को करवाये गये। वकील वादी ने और बयान नही करवाना चाहा।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार ख.नं. 261 तादादी 4.4510 हैक्ट. ख.नं. 388 तादादी 6.1708 हैक्ट., ख.नं. 538/17 तादादी 6.3984 हैक्ट. कुल तादादी 17.0202 हैक्ट. ाके रोही झौथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू में से अपने पिता के 1/3 हिस्से में से प्रत्येक वादीगण 1/3, 1/3 अर्थात 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करवाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात तथा जरिये साक्ष्य भी उक्त तथ्य प्रमाणित पाये गये है।

–::आदेश::–

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि रोही ग्राम झौथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के खसरा नंबर 261 तादादी 4.4510 हैक्ट. ख.नं. 388 तादादी 6.1708 हैक्ट., ख.नं. 538/17 तादादी 6.3984 हैक्ट. कुल तादादी 17.0202 हैक्ट. में से वादीगण के पिता नत्थूराम पुत्र श्योजीराम के 1/3 हिस्से में से वादीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करें। पर्चा डिक्री अलग से जारी किया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 27/8/25 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)